भारत सरकार
अंतरिक्ष विभाग

संदर्भ: एस.सी.एन.पी/एफ. आई.सी.आर.एफ. संस्करण 2

विषय: इन्सैट/जीसैट क्षमता आवश्यकता के पंजीकरण हेतु दिशा-निर्देश

अंतरिक्ष खंड क्षमता के आबंटन की मांग करने वाले मौजूदा/संभाव्य अंतरिक्ष खंड प्रयोक्ताओं द्वारा अनुपालन किए जाने वाले दिशा-निर्देश निम्नांकित हैं:

1) नई क्षमता या अतिरिक्त क्षमता के आबंटन की मॉग करने वाले प्रयोक्ताओं को परिशिष्ट-1 में दिए गए निर्दिष्ट "इन्सैट/जीसैट क्षमता आवश्यकता प्रारूप (आई.सी.आर.एफ.)" में ही अपने आवेदन प्रस्तुत किए जाएँ। पूर्ण विवरण सहित इंक (दवात) में हस्ताक्षरित आवेदन निदेशक, उपग्रह संचार एवं नौवहन कार्यक्रम कार्यालय, इसरो मुख्यालय, न्यू बी.ई.एल. रोड, बेंगलूरु-560231 को भेजें।

2) ब्याज-मुक्त, प्रतिदेय (वापसी योग्य) जमा, जिसे आगे "इन्सैट/जीसैट क्षमता आवश्यकता जमा" (आई.सी.आर.डी.) कहा गया है का, पंजीकरण हेतु आई.सी.आर.एफ के साथ भुगतान किया जाना चाहिए। आई.सी.आर.डी. आरक्षित किए जाने हेतु उपयोग की गई क्षमता के अनुपात में होगी और प्रेषानुकर क्षमता के 50,000/- प्रति मे.ह. की दर पर नियत है।

3) भारत सरकार के विभागों को, उनकी उपग्रह क्षमता की आवश्यकता के पंजीकृत कराते वक्त आई.सी.आर.डी. के भुगतान से छूट प्राप्त है। तथापि उन्हें आई.सी.आर.एफ. जमा करानी पड़ती है।

4) आई.सी.आर.डी. का भुगतान ऑनलाइन/एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस./सीधे बैंक खाते में जमा कराते हुए "एन्ट्रिक्स कोर्पोरेशन लि." चालू खाता सं.10502677013, भारतीय स्टेट बैंक, डॉलर कॉलोनी, सं. 61, ए.जी. ऑफिस लेआउट, न्यू बी.ई.एल. रोड, आर.एम.वी. द्वितीय स्टेज, बेंगलूरु-560054 (आर.टी.जी.एस. कोड SBIN0009042, एम.आई.सी.आर. कोड 560002063) को हस्तांतरित किया जाए। (ईमेल: antrixaccounts@antrix.gov.in). चेक, ड्राफ्ट या नकद भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा।

5) प्रयोक्ता प्रत्येक प्रकार की सेवा (डी.एस.एन.जी., वी.एस.ए.टी., टी.वी., डी.टी.एच. या अन्य सेवा) के लिए अंतरिक्ष खंड क्षमता और प्रत्येक आवृत्ति बैंड (एस., सी., विस्तारित-सी, के.यू. अथवा के.ए. इत्यादि) के लिए और प्रत्येक कक्षीय स्लॉट के आबंटन हेतु पृथक आवेदन जमा कराएँ।

6) प्रत्येक आवेदन को एक भिन्न ''इन्सैट/जीसैट क्षमता आवश्यकता प्रतीक्षा-सूची'' (आई.सी.आर.डबल्यू.एल.) संख्या प्रदान की जाएगी। निर्धारित आई.सी.आर.डी. की प्राप्ति की तारीख अथवा आई.सी.आर.एफ. की प्राप्ति की तारीख, जो भी बाद में हो, आवेदन जमा कराने की तारीख मानी जाएगी।

7). किसी भी प्रयोक्ता को क्षमता आबंटन के उपरांत, उक्त प्रयोक्ता की आवश्यकता को आई.सी.आर.डब्ल्यू.एल. से निकाल दिया जाएगा। आई.सी.आर.डी. को ''जमानती राशि'' के प्रति समायोजित किया जाएगा, जिसे अंतरिक्ष खंड प्रकार के लिए प्रथम बीजक के रूप में एन्ट्रिक्स कोर्पोरेशन लिमिटेड (एन्ट्रिक्स) के पास जमा कराना पड़ता है।

8) आंशिक आबंटन के मामले में, प्रयोक्ता की पंजीकृत आवश्यकता की क्षमता को आबंटित क्षमता तक घटा दिया जाएगा और एन्ट्रिक्स के पास जमा कराने की जमानती राशि के प्रति अनुपातिक आई.सी.आर.डी. को समायोजित किया जाएगा।

9) यदि आई.सी.आर.एफ. में आवश्यकतानुसार प्रयोक्ता को क्षमता प्रदान की जाती है और प्रयोक्ता तकनीकी रूप से उपयुक्त इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दे तो आई.सी.आर.डी. जब्त कर ली जाएगी और प्रयोक्ता का आई.सी.आर.एफ. पंजीकरण रद्द हो जाएगा।

10) अंतरिक्ष खंड क्षमता की तकनीकी उपयुक्तता से संबंधित मामलों पर अंतरिक्ष विभाग (अं.वि.) का निर्णय अंतिम होगा और प्रयोक्ता पर बाध्य होगा।

11) प्रयोक्ता द्वारा जमा कराई गई आई.सी.आर.एफ. कभी भी, परंतु, उन्हें प्रस्ताव पत्र जारी करने के पहले, संशोधन का अनुरोध कर सकते हैं। संशोधन हेतु अनुरोध को निम्न रूपों में माना जाएगा:

क) आवृत्ति बैंड, कक्षीय स्थान, इत्यादि में परिवर्तन - प्रयोक्ता नए आवेदन को जमा कराकर पुराना आवेदन वापस ले सकता है। आई.सी.आर.डी. जमा रहेगी और कतार के अंत में नई आई.सी.आर.डब्ल्यू.एल. संख्या प्रदान की जाएगी।

ख)	पंजीकृत क्षमता में कमी - प्रयोक्ता की प्राथमिकता आई.सी.आर.डब्ल्यू.एल में परिवर्तित नहीं होगी और समानुपातिक आई.सी.आर.डी. वापस की जाएगी।

ग)	पंजीकृत क्षमता में वृद्धि - प्रयोक्ता को अतिरिक्त क्षमता हेतु फिर से आवेदन करना होगा। मूल अंतरिक्ष खण्ड क्षमता हेतु मौजूदा पंजीकरण मान्य रहेगा।

घ)	आवश्यकता का निरस्तीकरण - प्रयोक्ता प्रस्ताव पत्र जारी होने से पूर्व किसी भी समय अपना पंजीकरण वापस ले सकते हैं।

12)	प्रयोक्ताओं को निम्नांकित विवरण के अनुसार संविदागत दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते समय जमानती जमा एवं बैंक गारंटी जमा करेंगे:-

आबंटित क्षमता	अनुप्रयोग	जमानती जमा	बैंक गारंटी	अंतरिक्ष खण्ड प्रभारों के भुगतान की आवर्तिता
<36 मे.ह.	कोई भी	3 महीने का अंतरिक्ष खंड प्रभार	3 महीने का अंतरिक्ष खंड प्रभार	अग्रिम में, वार्षिक (आबंटन के पूर्व पहला भुगतान)
≥36 मे.ह.	टी.वी, डी.एस.एन.जी.	3 महीने का अंतरिक्ष खंड प्रभार	3 महीने का अंतरिक्ष खंड प्रभार	करार के अनुसार अग्रिम में
≥36 मे.ह.	डी.टी.एच. वीसैट	कुछ नहीं	कुछ नहीं	करार के अनुसार अग्रिम में

जमानती जमा, बैंक गारंटी एवं भुगतान की आवर्तिता की आवश्यकता निर्धारित करने के उद्देश्य से विशेष आवृत्ति बैण्ड एवं विशेष अनुप्रयोग में प्रयोक्ता को आबंटित कुल क्षमता पर विचार किया जाएगा।

भारत सरकार के नियमों को जमानती जमा एवं बैंक गारंटी मुहैया कराने से छूट है। साथ ही, भारत सरकार के विभागों को आबंटन के पूर्व पहला भुगतान करने पर जोर नहीं दिया जाएगा यदि क्षमता आबंटन 36 मे.ह. से कम हो।

13)	किसी कारणवश आई.सी.आर.डी. (आंशिक या पूर्ण) की वापसी आवेदक द्वारा मुहैया कराए गए बैंक ब्यौरों के आधार पर ऑनलाइन/एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस./सीधे बैंक खाते में जमा के माध्यम से केवल एंट्रिक्स द्वारा ही अंतरित की जाएगी।

14) पंजीकृत प्रयोक्ताओं से अंतरिक्ष खण्ड क्षमता की आवश्यकता पर सचेतना/ जांच की प्रक्रिया की शर्त पर विचार किया जाएगा।

15) अं.वि. के पास नई या मौजूदा आई.सी.आर.एफ निरस्त करने तथा आई.सी.आर.डब्ल्यू.एल. में प्रयोक्ताओं को नई क्षमता आबंटित नहीं करने का अधिकार सुरक्षित है, यदि ऐसे प्रयोक्ताओं का अंतरिक्ष खण्ड क्षमता हेतु भुगतान न करने का ट्रैक रिकार्ड है, या वे सूची से निकाले गए है, या एंट्रिक्स / अं.वि. द्वारा दण्डात्मक कार्रवाई की कोई नोटिस जारी की गई है।

16) 36 मे.ह. क्षमता से कम सी. बैण्ड की आवश्यकता के मामले में डी.एस.एन.जी अनुप्रयोग पर टी.वी. अनुप्रयोग को वरीयता दी जाएगी।

17) ये दिशा-निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

18) अं.वि. के पास इन दिशा-निर्देशों को परिवर्तित करने के अधिकार सुरक्षित हैं।

19) किसी भी विवाद के मामलो में, मामला सचिव, अं.वि. के पास भेजा जाएगा, जिनका निर्णय अंतिम और बाध्य होगा।

***